भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3243
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

पोषण ट्रैकर के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

3243. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'सक्षम आंगनवाड़ी' और 'पोषण 2.0' के अंतर्गत पोषण और बाल विकास सेवाओं के प्रदाय पर 'पोषण ट्रैकर' के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस आकलन में 'पोषण ट्रैकर' के माध्यम से डिजिटल सत्यापन, डेटा की गुणवत्ता या सेवा प्रदाय से जुड़ी कोई चुनौती सामने आई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लाभार्थियों की व्याप्ति और सेवा प्रदाय पर 'पोषण ट्रैकर' के प्रभाव के आवधिक मूल्यांकन के लिए कोई तरीका नियत किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चिह्नित की गई चुनौतियों से निपटने और 'पोषण ट्रैकर' के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की प्रगति की डिजिटल रूप से समीक्षा करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आईसीटी आधारित निगरानी उपकरण के रूप में 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया है। यह आंगनवाड़ी केंद्रों पर तथा लाभार्थियों के घर पर उन्हें प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की निगरानी और समीक्षा की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर ने मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों और संघ

राज्य क्षेत्रों को विभिन्न मानदंडों पर मिशन के कार्यान्वयन की निरंतर समीक्षा करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में सक्षम बनाया है।

नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) (2025) द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का परिणाम-आधारित मूल्यांकन अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के अनुसार, संस्थागत आकलनों और परिवार-स्तरीय सर्वेक्षणों से प्राप्त साक्ष्य दर्शाते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल बनाए जाने का पोषण निगरानी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई), लाभार्थी प्रमाणीकरण और सेवा प्रदायगी की दक्षता पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। इस रिपोर्ट में पोषण ट्रैकर को पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत मैनुअल, कागज़-आधारित प्रणालियों से प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी अवसंरचना की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में पोषण ट्रैकर को भी बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोषण ट्रैकर, आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों, भंडार और सेवा प्रदायगी की डिजिटल निगरानी का आधारस्तंभ बन गया है। पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों का विस्तार निगरानी में एक मुलभूत बदलाव लाया है, जो एसएनपी की अंतिम-लाभार्थी तक प्रदायगी में अधिक उत्तरदायित्व, दक्षता और पारदर्शिता को सुगम बनाता है। इसके अतिरिक्त, 2016 के केंद्रीय बजट भाषण के अनुसरण में, प्रत्येक योजना को वित्त आयोग के चक्रों के अनुरुप बनाया गया है और किसी तृतीय पक्ष द्वारा योजना के मूल्यांकन के आधार पर इसे जारी रखा जाता है।

पोषण ट्रैकर का उपयोग करते समय नेटवर्क-संबंधी समस्याओं जैसे कुछ क्षेत्रों में कम या बिल्कुल इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने, का समाधान करने के लिए, एप्लिकेशन टेक-होम राशन (टीएचआर) के वितरण हेतु फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) के अंतर्गत ई-केवाईसी और चेहरे का मिलान (फेस मैचिंग) करने हेतु ऑफ़लाइन सुविधा प्रदान करता है। ई-केवाईसी और आधार चेहरे का मिलान करने के लिए ओटीपी किसी लाभार्थी के पूरे जीवन काल में केवल एक बार लेना होता है। इससे लाभार्थियों के लिए नेटवर्क या सर्वर संबंधी समस्याएँ होने पर भी आंगनवाड़ी सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो जाता है। ऑफ़लाइन मोड में एप्लिकेशन पर दर्ज किए गए डेटा को नेटवर्क बहाल होने के बाद सिंक करने के लिए 5 दिनों का प्रावधान है।

पोषण ट्रैकर से संबंधित तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निम्नलिखित तंत्रों के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के प्रभावी उपयोग हेतु निरंतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन सहायता देता है:

- सीखने के वीडियो और जागरूकता दस्तावेज़: पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के संसाधन खंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए सीखने के वीडियो और जागरूकता दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, जिन्हें वे अपने नियमित कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए किसी भी समय देख सकती हैं।
- पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रशिक्षण के क्रमिक (कैस्केडिंग) मॉडल के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अधिकारियों तथा क्षेत्रीय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसमें मास्टर प्रशिक्षकों (जिला अधिकारी, ब्लॉक समन्वयक और पर्यवेक्षक) को प्रशिक्षित किया जाता है, और इसके बाद मास्टर प्रशिक्षक क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को आगे प्रशिक्षण देते हैं। पोषण ट्रैकर के विभिन्न मॉड्यूलों, जैसे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस), जियो-टैगिंग, होम विज़िट शेड्यूलर इत्यादि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ब्लॉक और जिला समन्वयक, पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के प्रभावी उपयोग तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और पर्यवेक्षकों को कार्यस्थल पर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करते हैं।
- दैनिक वर्चुअल कक्षा सत्र: डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) प्रतिदिन (सोमवार से शुक्रवार) दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक वर्चुअल कक्षा सत्र आयोजित करता है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां एप्लिकेशन के संचालन और उपयोग के संबंध में प्रश्न पूछने तथा तत्समय स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए शामिल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य अधिकारियों (पर्यवेक्षक और उससे ऊपर के स्तर) के लिए शाम 4:15 बजे से 5:15 बजे तक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं, ताकि कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके, अद्यतन जानकारी साझा की जा सके तथा पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में शुरू की गई नई सुविधाओं और सुधारों पर प्रशिक्षण दिया जा सके।
